# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमलराम मीना, आर.ए.एस.

**अपील सं0:–77 / 2013** **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. भागचन्द पुत्र गंगाराम जाति जाटव निवासी बमनपुरा तहसील व जिला भरतपुर राज0
.....अपीलांट

बनाम

1. योगेश चन्द,
2. उमेश चन्द,
3. प्रहलाद पुत्रान बाबूलाल जातियान ब्राह्मण निवासी बमनपुरा तहसील व जिला भरतपुर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर ।

..... असल रेस्पो0

5. रामदेई बेवा छिद्दा
6. रामकली बेवा मूलचन्द,
7. नारायणसिंह,
8. मंगल,
9. हरवीर पुत्रान मूलचन्द,
10. किशनलाल पुत्र रामदयाल जातियान जाटव निवासी वमनपुरा तहसील व जिला भरतपुर ।
11. श्रीमती रामवती पत्नि मोहनसिंह जाति सिंगीवाला निवासी सेवर जिला भरतपुर तहसील भरतपुर राज0 ।

..... तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :–

1. श्री रोहिताश सैन, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री मूलचन्द चौधरी, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1ल03
3. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।
4. श्री राजेन्द्र जैन अभिभाषक तर0 रेस्पो0 सं0 11

**अपील सं0:–09 / 2014** **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. योगेश चन्द,
2. उमेश चन्द,

3. प्रहलाद पुत्रान बाबूलाल जातियान ब्राह्मण निवासी बमनपुरा तहसील व जिला भरतपुर ।

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. भागचन्द पुत्र गंगाराम जाति जाटव निवासी वमनपुरा तहसील व जिला भरतपुर राज0 ।
2. किशन पुत्र रामदयाल जाति जाटव निवासी वमनपुरा तहसील व जिला भरतपुर राज0 ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर ।
4. श्रीमती रामवती पत्नि मोहनसिंह जाति सिंगीवाला निवासी सेवर जिला भरतपुर राज0

..... अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

5. श्री मूलचन्द चौधरी, अभिभाषक अपीलांट ।
6. श्री रोहिताश सैन, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 व 2
7. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।
8. श्री राजेन्द्र जैन अभिभाषक रेस्पो0 सं0 4

## ::: निर्णय :::

**दिनांक :–29.06.2018**

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.01.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में स्थानान्तरण होकर प्रस्तुत हुई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 53 आर.टी.एक्ट के साथ 212 का प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि साबिक ख0 नं0 639 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 641 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा किता 2 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम वमनपुरा तहसील व जिला भरतपुर राजस्थान जमीदारी उन्मूलन कानून जारी होने से पूर्व स्व0 श्री कन्हैया पुत्र परसा ब्राह्मण की मिल्कियती खेवट का रकबा था । श्री कन्हैया वादीगण के खास बाबा थे । उक्त रकबा को आध बंटाई पर श्री कन्हैया ने सम्वत् 2006–2007 के आस पास काश्त के लिए श्री छिद्दा पुत्र नत्थे उर्फ नत्थी जाटव को बतला दिया और वह आधे बांटे पर काश्त करने लग गया । आधे बांटे के आधार पर उक्त रकबा पर राजस्व रेकार्ड में श्री छिद्दा का नाम दर्ज कर दिया व जमाबन्दी सम्वत् 2018 में उक्त खसरा नम्बरान पर कन्हैया को इन्द्राज निष्फ हिस्सा सबलैट किया । हाल बन्दोबस्त में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से शिकमी का इन्द्राज वादीगण का काट दिया गया और सालिम पर भागचन्द खातेदार दर्ज कर दिया । हाल बन्दोबस्त में उक्त दो नम्बरान के नवीन नम्बर 465 रकबा 0.29, 466 रकबा 0.24 बनाये व साथ में तीसरा नम्बर 467 रकबा 0.06 और बना दिया । मिलान क्षेत्रफल में इस तीसरे नम्बर को 641 से बनना प्रदर्शित किया है । नवीन नम्बर 465 व 466 के रकबा का जोड़ 53

ऐयर है जो साबिक रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा के समकक्ष है और कोई पुराना रकबा बचता नहीं है । तब 467 रकबा 0.06 ऐयर का अतिरिक्त नम्बर बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है, 467 नम्बर गलत बनाया गया है । बाबा कन्हैया के मरने के बाद वादीगण को पुराने खसरा नम्बरान पर निस्फ में शिकमी दर्ज कर दिया है व हाल बन्दोबस्त में वादीगण का शिकमी इन्द्राज लोपित कर दिया है । बन्दोबस्ती कार्यवाही से वादीगण के हकूक पर कुप्रभाव पड़ने का अंदेशा हो गया है । इसलिए वादीगण को घोषणा करना आवश्यक हो गया । गलत इन्द्राज के आधार पर ख0 नं0 465 रकबा 29 ऐयर सालिम तथा 466 रकबा 24 ऐयर में से 3 ऐयर को प्रतिवादी नं0 1 ने प्रतिवादी नं0 8 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 5.7.1999 को विक्रय कर दिया और इस विक्रय पत्र के आधार पर किशनलाल के हक में नामान्तकरण दर्ज हो गया । विक्रय पत्र विवादित आराजी में प्रतिवादी नं0 1 के निस्फ हिस्से से अधिक है जो मुकाबले वादीगण नल एण्ड वोईड है । चूंकि ख0 नं0 467 रकबा 6 ऐयर गलत बनाया गया जिसे डिलीट किया जाना उचित है । इसका निस्तारण प्रतिवादी नं0 2 लगायत 6 की अदम मौजूदगी में नहीं हो सकता । इसलिए उन्हें पक्षकार बनाया गया । चूंकि वादीगण व प्रतिवादी अपने–अपने निस्फ हिस्से पर काबिज हैं और काश्त कर रहे हैं । इन्द्राज भी अलग–अलग नहीं है । इसलिए वादीगण डिवीजन ऑफ होल्डिंग के अधिकारी हैं । दावा पेश होने पर मात्र राजस्थान सरकार के पैरोकार उपस्थित हुए जिनका जवाब रेकार्ड पर है । अन्य प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये । एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई । वादीगण का दावा दिनांक 23.11.2000 को खारिज कर दिया जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में हुई । राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने दिनांक 31.7.2001 को अधीनस्थ न्यायालय का निर्ण्य निरस्त कर दिया व निर्णय में यह फाईडिंग दी कि विक्रय पत्र दिनांक 10.12.1974 के आधार पर निस्फ हिस्सा छिद्दा ने भागचन्द को बय किया तब सम्पूर्ण आराजी पर भागचन्द का नाम अवैधानिक है । प्रकरण आंशिक स्वीकार कर पुनः निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया जिसके विरूद्ध वादीगण माननीय राजस्व मण्डल गये । माननीय राजस्व मण्डल ने दिनांक 30.5.2003 को अपील खारिज कर दी । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया । विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 20.01.2012 को वादीगण का वाद प्रारम्भिक डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 20.01.2012 से व्यथित होकर अपीलांट व रेस्पो0 ने यह दो अपीलें इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

चूंकि अपीलांट व असल रेस्पो0 ने तहत न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.1.2012 के खिलाफ दो अपीलें एक निर्णय 223 आर.टी.एक्ट में एवं दूसरी अपील 225 आर.टी.एक्ट के खिलाफ दायर की गई हैं । इसलिए दोनों अपीलों का एक साथ निर्णय किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों अपीलों में संलग्न की जावें ।

अपीलें प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गयां । यह अपील पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 21.11.2013 से राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में वास्ते सुनवाई पेश हुई । तहत अदालत की पत्रावली पूर्व से ही संलग्न थी । अतः विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया । तहत न्यायालय के निर्णय का अवलोकन करते हुए कानूनी बिन्दुओं का भी अवलोकन किया गया ।

अपीलांट अभिभाषक श्री रोहिताश सैन का बहस में कथन है कि तहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.1.2012 के खिलाफ यह अपील प्रस्तुत की गई है । आराजी ख0 नं0 465 रकबा 0.29, 466 रकबा 0.24 ऐयर किता 2 रकबा 0.53 ऐयर वाके ग्राम वमनपुरा तहसील भरतपुर में स्थित है जिस आराजीं का अपीलांट काबिज खातेदार काश्तकार है । अपीलांट ने इस आराजी में से 32 ऐयर रकबा किशनलाल तरतीबी रेस्पो0 को विक्रय कर दिया तथा शेष 21 ऐयर पर अपीलांट काबिज है । तहत न्यायालय ने जो डिक्री पारित की है वह कतई गलत है क्योंकि अपीलांट अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और असल रेस्पो0 1, 2 व 3 सवर्ण जाति के है । अनुसूचित जाति के खिलाफ कोई डिक्री जारी नहीं की जा सकती है क्योंकि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के सैक्शन 42 से प्रतिबंधित है । तहत न्यायालय ने अपीलांट को न तो कभी कोई नोटिस दिये और न ही कोई तामील कुनिन्दा गांव में गया और फर्जी तरीके से तामील कराकर रेस्पो0 सं0 1, 2 व 3 ने एक्सपार्टी कराके यह गलत डिक्री हासिल की है । साथ ही अपीलांट को न तो कोई सुनवाई का मौका दिया गया और न ही साक्ष्य, सबूत पेश करने का मौका दिया गया और यह एकतरफा में प्राथमिक डिक्री तहत न्यायालय ने पारित कर दी जो निरस्त योग्य हैं । तहत न्यायालय ने जो डिक्री सवर्ण जाति को एस.सी. के खिलाफ दी है जो कानूनन वोईड है और यह भी इकतरफा में दी है तथा इस डिक्री की आज तक अपीलांट को कोई जानकारी नहीं है । डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी 6.6.2012 को हुई व नकलें मिलने के बाद अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है जिसे कन्डोन करने के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम मय शपथपत्र पेश की जा रही है । यदि कोई वोईड डिक्री है तो उसे कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता है । विवादित आराजी पर न तो कभी कन्हैया का कब्जा रहा और ना ही बाबूलाल का कब्जा रहा और न ही आज तक रेस्पो0 सं0 1, 2 व 3 का रहा ।

बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि दावे के तथ्यों के अनुसार विवादित आराजी हमारे दादा कन्हैया की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी । वर्ष 2006–07 में विवादित आराजी छिद्दा नाम के व्यक्ति को बंटाई पर दे दिया । वाद के तथ्यों के अनुसार कन्हैया इस खेवट के खुदकाश्त मालिक, कब्जेदार हैं । अपीलांट व उनके पिता इस आराजी के मालिक थे । यह तथ्य अपीलांट सह खातेदार योगेश वगैरा तहत न्यायालय में लेकर आये हैं । दावे के पैरा सं0 2 के अनुसार विवादित आराजी सम्वत् 2018 में इनके बादावा के नाम इन्द्राज बताये हैं तथा पैरा सं0 3 में सह खातेदार पैरा सं0 2 के विपरीत बताया । यहां यह आवश्यक है कि वादीगण को पहले दावा डिक्लेयर करवाना चाहिए फिर बंटवारा फिर स्थायी निषेधाज्ञा लेना चाहिए । यह वाद धारा 42 के विरूद्ध भी मेरे जवाब व अपील में पायी जायेगी । अपीलांट ने धारा 42 को इगनोर करके अनुसूचित जाति की आराजी को हड़पने का प्रयास किया है । सम्वत् 2018 में शिकमी दर्ज होने के आधार पर खातेदारी का बिन्दु उठाया है । दि0 8.11.96 को इन इन्द्राजों की जानकारी होना बताया है । पोतों को इसकी जानकारी 50 वर्ष बाद होना बताया है जो कितना हास्यास्पद है । पैरा सं0 5 के अनुसार 1974 में छिद्दा ने निस्फ हिस्सा भागचन्द को बेच दिया । वर्तमान दावे में छिद्दा को ही

पक्षकार बनाया तथा उसके वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया और सीधे भागचन्द को पक्षकार बना दिया । वादीगण ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि छिद्दा नामक व्यक्ति की पूरी कब्जे व खातेदारी की आराजी थी । जब इनको जानकारी हुई कि निस्फ हिस्सा बेचान कर दिया तो उनको तरतीबी प्रतिवादी बनाकर संशोधित दावा किया । सन् 2016 में राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में प्रार्थना पत्र देकर रामवती को पक्षकार बनाया तथा उसमें संशोधन नहीं हुआ है । निस्फ हिस्से का विवाद माननीय राजस्व मण्डल अजमेर तक गया तथा उसने क्लेम को नहीं माना । रेस्पो0 को पक्षकार तरतीबी बनाते रहे, जिनकी तथा रेस्पो0 की प्रोपर तामील नहीं हुई तथा तहत न्यायालय ने दि0 23.11.2000 को एक्सपार्टी में दावा खारिज कर दिया । तहसीलदार के पत्र दिनांक 18.4.2012 के अनुसार 20.1.2012 को पालना मांगी तो अनुसूचित जाति की आराजी पर डिक्री का हवाला दिया है। पालना रिपोर्ट राजस्व रेकार्ड व मौका व कब्जे की दी थी। दि0 20.1.2012 को जानकारी हमें मिलते ही दफा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र लगाकर अपील राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में की । यह अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश से मुन्तकिल हुई है जिसमें हमारी दफा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । दफा 5 माननीय न्यायालय से 30.6.2015 को न्याय के बिन्दु पर ना कि मैरिट पर निर्णित हुई । हमारा यही कहना है कि धारा 5 मियाद के निर्णय होने के बाद अब माननीय न्यायालय में मैरिट पर इस अपील का निर्णय होना है । हमने अपील में उन्हीं बिन्दुओं को लिखा है कि किस प्रकार हमारे विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । किस प्रकार हमारे हितों को नुकसान पहुंचाया है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री गलत है ।

अपीलांट अभिभाषक ने बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि अपील के मुख्य बिन्दु है कि सबूतों के आधार पर सुनवाई करके उभयपक्षों की उपस्थिति में कानून सम्मत निर्णय करें । माननीय राजस्व मण्डल के भी यही निर्देश हैं । पूरे रकबे का दावा किया था । शिकमी के इन्द्राजों का हवाला दिया । इन्होंने जमीदारी विस्वेदारी उन्मूलन एक्ट के प्रावधानों की रीलिफ चाही है । रामकरण के नाम से इकरारनामा करवा लिया और वह क्लेम करता रहा । हमारा विनम्र मत है कि एक्सपार्टी में निर्णय में हमें साक्ष्य और सुनवाई का मौका देवें । रेस्पो0 तब ही बता पायेगें कि हमारा क्या कब्जा है । कानूनी रूप से क्या अधिकार मिले हैं तथा कानूनी रूप से दस्तावेज भी प्रस्तुत करने हैं ।

इसलिए इनकी अपील खारिज की जावें तथा हमें साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर मिलना चाहिए । माननीय राजस्व मण्डल व माननीय न्यायालय ने सुनवाई का कोई समय निश्चित नहीं किया है । मेरे बेचान पर कोई रोक नहीं है । मेरे आराजी में अधिकार थे । इसलिए आराजी का बेचान कर दिया तथा मुझे बेचान से पाबन्द नहीं किया गया । साथ ही खरीददारों को पक्षकार बनाओं ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन करते हुए अपने कथन के समर्थन में आर.आर.डी. 1994 पेज 215, आर.आर.डी. 1974 पेज 640, आर.आर.डी. 1993 पेज 22, 94, आर.आर.डी. 1991 पेज 1 बी. राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 सैक्शन 41, 42, 16 व आर.आर. डी. 1993 पेज 411 पेश की ।

बहस जवाब में रेस्पो0 के अभिभाषक श्री मूलचन्द चौधरी का कथन है कि साबिक ख0 नं0 639 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 641 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 3

बीघा 4 बिस्वा के हाल ख0 नं0 465 रकबा 0.29, 466 रकबा 0.24 व 467 रकबा 0.06 बने हैं जिन पर राजस्थान जमींदारी विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के प्रभाव में आने के समय कन्हैया पुत्र परसा ब्राह्मण मालिक खुद काश्त काबिज थे जो कि योगेश चन्द, उमेशचन्द व प्रहलाद पुत्रान बाबूलाल के सगे बाबा हैं एवं कन्हैया के सजरा में कोई विवाद नहीं है । अपीलांट सजंरा एडमिट करते हैं । धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की बात पर अब पुनः निर्णय नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह प्रश्न पहले ही तय हो चुका है और अपीलेट कोर्ट तक बहाल रहा है । अधीनस्थ न्यायालय में जब उक्त पत्रावली दर्ज हुई तब न्यायालय द्धारा वादीगण व प्रतिवादीगण को नोटिस दिया तब वादीगण ने उपस्थित होकर विक्रय पत्र दिनांक 15.7.99 भागचन्द बनाम किशनलाल के आधार पर किशनलाल को पक्षकार बनाने का आवेदन किया जिसे स्वीकार किया गया व वादीगण की ओर से संशोधित वादपत्र पेश कर प्रतिवादी किशनलाल को दावे में प्रतिवादी सं0 8 बनाया गया । तलब करने पर किशनलाल मय वकील उपस्थित हुए तथा दावे की नकल प्राप्त की । प्रतिवादी नं0 8 ने दिनांक 25.10.2010, 6.8.2010, 30.9.2010, 12.11.2010 व 7.1.2011 तक अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया और दिनांक 2.2.2011 कों प्रतिवादी नं0 8 व उसके वकील उपस्थित नहीं आये और उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई । प्रतिवादी सं0 1, 3, 4, 5, 6 के विरूद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है । राजस्थान सरकार प्रतिवादी सं0 7 का जवाब पूर्व में ही रेकार्ड पर मौजूद है । नवीन संशोधित जवाब पेश नहीं हुआ ।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण की ओर से प्रदर्श 1 हाल नक्शा पटवार, प्रदर्श 2 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2011, प्रदर्श 3 में साबिक बन्दोबस्त, प्रदर्श 4 में नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2016 से 2019, प्रदर्श 5 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2024–2026, खाता सं0 145, प्रदर्श 6 जमाबन्दी सम्वत् 2028 से 2031, प्रदर्श 7 जमाबन्दी सम्वत् 2043 से 2062, प्रदर्श 8 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 9 जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2053, प्रदर्श 10 बयनामा दिनांक 10.12.1974 छिद्दा बनाम भागचन्द, प्रदर्श 11 नामान्तकरण सं0 195, प्रदर्श 12 जमाबन्दी सम्वत् 2003, प्रदर्श 13 बयनामा दि0 5.7.99 भागचन्द बनाम किशनलाल, प्रदर्श 14 नामान्तकरण सं0 123, प्रदर्श 15 जमाबन्दी सम्वत् 2062 से 65, प्रदर्श 16 निर्णय दिनांक 19.7.2001 भागचन्द बनाम रामकरण व प्रदर्श 17 डिक्री दि0 18.7.2001 भागचन्द बनाम रामकरण वगैरा व असल आवपासी पर्चा पेश किये हैं ।

प्रतिवादी भागचन्द के खिलाफ दि0 31.7.1998 को एकपक्षीय कार्यवाही हो गई तथा दिनांक 11.4.2000 को वादीगण का दावा संशोधित हुआ था तब पुनः पक्षकार तलब हुए । दिनांक 21.4.2000 को प्रतिवादीगण सं0 3 ल0 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हुई । दि0 31.7.2000 को प्रतिवादी नं0 1 भागचन्द के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा दिनांक 29.9.2000 को 150 रू0 हर्जा पर भागचन्द प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश अपास्त किये गये है । कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी हर्जा अदा नहीं करने पर व उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी नं0 1 भागचन्द के विरूद्ध पुनः एकपक्षीय कार्यवाही पुनः अमल में लाई गई । उसके उपरान्त माननीय राजस्व मण्डल से पत्रावली प्राप्त होने पर पुनः प्रतिवादीगण को तलब किया गया तब भी भागचन्द उपस्थित नहीं हुआ । जमाबन्दी सम्वत् 2003 व 2011 में स्व0 श्री कन्हैयालाल उक्त रकबा के मालिक हैं । जमाबन्दी सम्वत् 2011 में कन्हैया व छिद्दा को गैर मौरूसी दर्ज कर रखा है । सम्वत् 2019

में छिद्दा खातेदार मुद्दत साल 14 व काश्त खातेदार निस्फ व कन्हैया पुत्र परसा शिकमी साल 2 निस्फ दर्ज कर दिया । ऐसी स्थिति में छिद्दा की काश्त मुददत साल 14 दर्ज करने की क्या आवश्यकता थी जबकि छिद्दा निस्फ हिस्से पर खातेदार दर्ज हो गया स्व0 श्री कन्हैया को शिकमी क्यो दर्ज किया गया । वादीगण का यही केस है कि कन्हैया मालिक थे और उन्होंने आधा हिस्सा छिद्दा को दिया । राजस्व अभिलेख सम्वत् 2017 कतई गलत विवादित आराजी बाबत प्रतीत होता है । कन्हैया को छिद्दा का शिकमी दर्ज करना भी कतई गलत है । प्रदर्श 10 व नामान्तकरण सं0 195 प्रदर्श 11 से भी स्पष्ट हो जाता है कि विक्रय पत्र प्रदर्श 10 में उक्त छिद्दा विवादित्त साबिक खसरा नम्बरान में अपने आपको निस्फ हिस्से का खातेदार काश्तकार होना स्वीकार किया है । इससे स्पष्ट है कि दिनांक 15.11.59 से पूर्व कन्हैया निस्फ हिस्से पर बहैसियत खातेदार काश्तकार मालिक था । छिद्दा निस्फ हिस्से पर बहैसियत काश्तकार काबिज था और राजस्थान जमींदारी एवं विश्वेंदारी उन्मूलन कानून के तहत उक्त कन्हैया विवादित आराजी के निस्फ हिस्से का मालिक काश्तकार खातेदार हो गया ।

वादीगण व अन्य के विरूद्ध विवादित आराजी बाबत एक दावा इस्तकरार हक व हुक्मईम्तनाई दवामी दायर किया जो दि0 18.7.2001 को सहायक कलक्टर नदबई द्वितीय मुख्यालय भरतपुर ने गुणावगुण के आधार पर खारिज कर दिया और अपने निर्णय में यह माना कि विवादित आराजी पर भागचन्द को विक्रय पत्र दिनांक 10.12.74 के आधार पर निस्फ हिस्सा पर ही कब्जा प्राप्त किया हुआ था । प्रतिवादी सं0 8 किशनलाल के हक में जो विक्रय पत्र प्रदर्श 13 भागचन्द प्रतिवादी ने दि0 5.7.99 को किया है वह प्रथमतः दौराने दावा किया है और दूसरे भागचन्द प्रतिवादी विवादित आराजी के निस्फ हिस्से के खातेदारी अधिकारों को ही विक्रय करने को सक्षम था तब निस्फ हिस्से से ज्यादा रकंबे पर किशनलाल प्रतिवादी को विक्रय पत्र कराया है । निस्फ हिस्से से अधिक रकबे बाबत उक्त विक्रय पत्र दि0 5.7.99 अप्रभावी व शून्य है व उसके आधार पर दर्ज नामान्तकरण सं0 123 भी निस्फ रकबे से अधिक रकबे बाबत अप्रभावी व शून्य है । ख0 नं0 465 व 466 के निस्फ रकबे से अधिक रकबे पर किशनलाल प्रतिवादी को कोई हक हकूक किसी भी प्रकार के प्राप्त नहीं हुए है । इसलिए प्रतिवादी छिद्दा पुत्र नत्थे उर्फ नत्थी अपना कोई क्लेम उक्त आराजी पर नहीं करता है ।

आगे जवाब बहस में कहा कि उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि धारा 42 राज0 काश्तकारी अधिनियम का भी उल्लंधन नहीं है क्योंकि यह किसी भी साक्ष्य से साबित नहीं है कि छिद्दा, भागचन्द अथवा किशनलाल ने विवादित आराजी के निस्फ हिस्सा को स्व0 श्री कन्हैया अथवा वादीगण को काश्त के लिए सबलैट किया था । राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने निर्णय व डिक्री दि0 23.11.2000 सहायक कलक्टर भरतपुर को निरस्त कर दिया व विक्रय पत्र दिनांक 10.12.74 प्रदर्श 10 को वैध माना । चूंकि मामला सबलेट का नहीं है । इसलिए राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने इस मामले को धारा 42 राज0 काश्तकारी से संबंधित नहीं माना ।

आगे कहा कि भागचन्द की शुरू से नियत सही नहीं रही है । येन केन प्रकारेण विवादित आराजी को विक्रय करने पर लगा हुआ है जितना भाग भागचन्द ने क्रय किया था, नत्थे उर्फ नत्थी से क्रय किया है उतना भाग वह किशनलाल जाटव को विक्रय कर चुका

है । जब उसको स्थगन आदेश का पता लगा तो रामवती पत्नि मोहनसिंह को दिखावटी विक्रय पत्र कर दिया है जबकि उक्त आराजी पर न तो भागचन्द का कब्जा काश्त है और न ही रामवती का कब्जा काश्त है । उक्त गलत विक्रय पत्र के आधार पर यह लोग विवादित आराजी राजस्व अभिलेख एवं मौका को बदलने पर आमादा है । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें एवं अपीलांट भागचन्द को इस प्रकार व्यादेश से पाबन्द किया जावें कि वह राजस्व अभिलेख एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे और विवादित आराजी को दीगर जगह, रहन, बय मुन्तकिल ना करें ।

उन्होंने अपने समर्थन में आर.आर.टी. 2017 पेज 1154, आर.आर.डी. 2006 पेज 91, ए.आई.आर. 1990 पेज 334, ए.आई.आर. 1991 पेज 279, आर.बी.जे. 2009 पेज 578, आर.बी. जे. 2003 पेज 118, आर.बी.जे. 1998 पेज 274 व 610, आर.आर.टी. 2017 पेज 224, ए.आई. आर. 2004 पेज 173, आर.आर.डी. 2012 पेज पेज 69, आर.बी.जे. 2000 पेज 53, ए.आई.आर. 2007 पेज 9, आर.आर.डी. 1994 पेज 620, आर.आर.डी. 1985 पेज 248, आर.बी.जे. 1997 पेज 401, आर.एल.डब्ल्यू. 2006 पेज 2401, आर.बी.जे. 2012 पेज 724 प्रस्तुत किये ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय हाजा में अपीलांट व रेस्पो0 की ओर से पेश राजस्व रेकार्ड, दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । तहत न्यायालय के आदेश दि0 20.1.2012 का अवलोकन करते हुए उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । साथ ही उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा पेश विभिन्न कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया ।

अपीलांट के द्वारा यह अपील तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 20.1.2012 के विरूद्ध पेश करते हुए निवेदन किया कि तहत न्यायालय का उक्त आदेश खिलाफ कानून व खिलाफ रेकार्ड है व काबिल निरस्ती के है । अपीलांट का अपील में मुख्य बिन्दु यह कि तहत न्यायालय में प्रतिवादी/अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई और उन्हें सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया । अपील में द्वितीय बिन्दु यह भी रखा गया है कि विवादित आराजी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी की आराजी है । इस आराजी पर तहत न्यायालय के द्वारा खिलाफ कानून निस्फ हिस्से की डिक्री पारित की गई है । वह काबिल दुरूस्ती के है ।

हमने उक्त सन्दर्भ में रेकार्ड एवं तहत न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन करने पर पाया कि प्रतिवादीगण/अपीलांट की तहत अदालत के द्वारा विधिवत् तामील करवायी गयी है और प्रतिवादी सं0 8 किशनलाल मय वकील तहत अदालत में उपस्थित हुए । प्रतिवादी सं0 8 किशनलाल द्वारा उक्त आराजी प्रतिवादी सं0 1 भागचन्द से जरिये रजिस्टर्ड खरीद की गई थी । प्रतिवादी किशनलाल को तहत अदालत के द्वारा दिनांक 25.10.2010 से दिनांक 7.1.2011 तक 6 पेशेयों में जवाब पेश करने के अवसर दिये गये परन्तु जवाब पेश नहीं किया गया और दिनांक 2.2.2011 को प्रतिवादी किशनलाल एवं उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं होने के कारण इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई और जवाब दावा बन्द किया गया । प्रतिवादी सं0 1, 3, 4 व 5 के विरूद्ध भी तहत न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई । अपीलांट के द्वारा दौराने अपील बहस में यह मुद्दा उठाया कि साक्ष्य और रेकार्ड पेश करने का अवसर नहीं दिया गया परन्तु तहत न्यायालय की उक्त आदेशिकाओं के अवलोकन से

स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण को अपना जवाब व रेकार्ड पेश करने का समुचित अवसर दिया गया परन्तु उनके द्वारा न तो जवाब पेश किया गया और न ही स्वयं उपस्थित हुए । इसलिए उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई वह कानून सम्मत है । अपील के दौरान अपीलांट/प्रतिवादीगण के द्वारा अपीलीय न्यायालय में इन्हें रेकार्ड पेश करने का अवसर दिया गया और इनके द्वारा निर्धारित प्रार्थना पत्र के आधार पर रेकार्ड पेश किया गया । अपीलांट को अपीलीय न्यायालय द्वारा सुनवाई का अब युक्तियुक्त अवसर दिया गया है ।

अपीलांट अभिभाषक का अपील का दूसरा बिन्दू यह भी है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 42 के उल्लंघन करते हुए सर्वण जाति के पक्ष में डिक्री पारित की है । इस संबंध में तहत न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया जिसमें तहत न्यायालय के द्वारा यह विवेचन किया गया है कि यह आराजी अनुसूचित जाति से सवर्ण को सबलैट का प्रश्न नहीं था बल्कि विवादित आराजी पर जमीदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने के समय प्राप्त होने वाली खातेदारी से संबंधित है और उभयपक्षों के द्वारा इस आराजी पर खुद काश्त एवं कब्जे काश्त तथा शिकमी के इन्द्राजों के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का दावा पेश किया गया है । इसलिए यह प्रकरण धारा 42 के उल्लंघन से बाहर है । अपीलीय न्यायालय इस मत से सहमत है । अतः अपीलांट का यह बिन्दु कि धारा 42 का उल्लंघन करते डिक्री पारित की गई है । न्यायालय इस मत से सहमत नहीं है । जहां तक रेकार्ड के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर रेकार्ड का विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत हैं । साबिक रेकार्ड के अनुसार विवादित आराजी साबिक ख0 नं0 639 व 641 के सम्वत् 2006–07 में स्वर्गीय कन्हैया पुत्र परसा के मिल्कियत खैवट की आराजी थी और श्री छिद्दा पुत्र नत्थी जाटव को निस्फ हिस्से पर बकाश्त के रूप में दर्ज कर दी गई । जमाबन्दी सम्वत् 2011 में कन्हैया मालिक है और छिद्दा को गैर मौरूसी के रूप में दर्ज किया हुआ है । इससे पूर्व सम्वत् 2003–11 की जमाबन्दी में कन्हैया पुत्र परसा उक्त रकबे के मालिक हैं परन्तु सम्वत् 2019 की जमाबन्दी में छिद्दा खातेदार निस्फ एवं कन्हैया पुत्र परसा को शिकमी साल 2 दर्ज किया गया है । रेकार्ड के अनुसार न्यायिक मत है कि खैवट के मालिक को जमीदारी बिस्वेदारी उन्मूलन लागू होने के बाद शिकमी के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज करना कानून सम्मत नहीं था । चूंकि कन्हैया खैवटदार और निस्फ हिस्से पर उसकी काश्त थी । इसलिए जमीदारी बिस्वेदारी उन्मूलन लागू होने के बाद हीं कन्हैया पुत्र परसा निस्फ हिस्से का खातेदार काश्तकार हो जाता है । चूंकि उक्त अधिनियम के लागू होने के समय छिद्दा पुत्र नत्थी निस्फ हिस्से पर भी बकाश्त दर्ज थी । इसलिए वह भी निस्फ हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड किया गया । सम्वत् 2024–27 की जमाबन्दी में कन्हैया को शिकमी दर्ज किया जाना गलत है और तहत न्यायालय ने अपने विवेचन के आधार पर जो निर्णय पारित किया है जिसके अनुसार दि0 8.7.1958 को आबपासी पर्चा के अनुसार निस्फ हिस्से का मालिक छिद्दा और निस्फ हिस्से का कन्हैया था । उसी अनुरूप खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी थे । इसलिए वादीगण के द्वारा तहत न्यायालय में जो दावा पेश किया गया और तहत न्यायालय द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर दोनों 639 व 641 में निस्फ हिस्से की खातेदारी प्रदान की गई है, वह कानून सम्मत है एवं खसरा नम्बर हाल 467 गलत बनाये गये हैं, उसे डिलीट किये जाने के संबंध में भी पारित आदेश भी कानून सम्मत है । छिद्दा

के द्वारा प्रतिवादी सं0 1 भागचन्द को किया गया बयनामा दि0 10.12.1973 जो निस्फ हिस्से तक था वह सही है एवं निस्फ हिस्से से अधिक किसी भी प्रकार का बयनामा कानून सम्मत नहीं है । इस संबंध में तहत न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह सही है ।

रेस्पो0 अभिभाषक ने जो कानूनी नजीरें पेश की है वें इस प्रकरण में लागू होती है । इसलिए अपील अपीलांट कानून सम्मत नहीं होने से काबिल खारिजी के है ।

अतः अपील सं0 77/2013 बउनवान भागचन्द बनाम योगेश चन्द खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.01.2012 यथावत रखा जाता है । अपील सं0 9/2014 योगेश बनाम भागचन्द की अपील अपीलांट योगेश के द्वारा 225 आर.टी.एक्ट में पेश की गई है । चूंकि जब मूल अपील ही खारिज की जा चुकी है तो स्थगन प्रार्थना पत्र के खिलाफ 212 आर.टी.एक्ट की अपील स्वतः ही सारहीन होने से खारिज हो चुकी है । खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो । निर्णय की प्रति दोनों अपीलों में संलग्न की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29.6.18

(कमलराम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर